



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 22 अप्रैल, 2006 ई0

बैशाख 02, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 728/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006

देहरादून, 22 अप्रैल, 2006

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 पर दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 08, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006

(अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2006)

यह इष्टकर है कि उत्तरांचल में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के एकीकृत स्वरूप के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षणों की संरचना एवं प्रक्रिया के विनियमन, पर्यवेक्षण और उनके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद् की स्थापना करने के लिए-

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित हो-

भाग—एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

- 1— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2— इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद" से विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तरांचल अभिप्रेत है,

(ख) "केन्द्र" से परिषद द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू-गृहादि, परिसर भी सम्मिलित है,

(ग) "निदेशक" से विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल का निदेशक अभिप्रेत है,

(घ) "जिला शिक्षा अधिकारी" से जिले का जिला शिक्षा अधिकारी अभिप्रेत है, (ङ) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के "कर्मचारी" से किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी अभिप्रेत है, जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो,

(च) "संस्था का प्रधान" से संस्था का, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक अभिप्रेत है,

(छ) "संस्था" से मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय अभिप्रेत हैं,

(ज) "राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था" से राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं अभिप्रेत हैं,

(झ) "अन्तरीक्षक" से परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्राध्यक्ष की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया अन्तरीक्षक अभिप्रेत है,

(ट) "स्थानीय निकाय" से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद अभिप्रेत है,

(ठ) "अनुरक्षण अनुदान" से संस्था का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे,

(ड) "प्रबन्धाधिकरण" से मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में प्रशासन योजना के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ण) किसी मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था की, पूर्णतः या अन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर सम्पत्तियाँ हैं और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और सम्पत्ति सम्मिलित है, जो प्रबन्ध तंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो तथा इसमें उदभूत होने वाले अन्य अधिकार और हित भी हैं,

(त) "मान्यता" से परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रदान की गई मान्यता अभिप्रेत है,

(थ) "मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक" से मण्डल का अपर शिक्षा निदेशक अभिप्रेत है,

(द) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा बनाये गए विनियम अभिप्रेत है,

(ध) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" से अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय संदत उपलब्धियों का योग अभिप्रेत है, और इसमें महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी सम्मिलित है,

(न) "राज्य सरकार" से उत्तरांचल सरकार अभिप्रेत है,

(प) "केन्द्र अधीक्षक" से परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए परिषद द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है,

(फ) किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के "अध्यापक" से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक अभिप्रेत है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस मान्यता प्राप्त संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप नियमित रूप से सेवायोजित हो,

भाग दो

विद्यालयी शिक्षा की विभागीय संरचना, कृत्य और शक्तियाँ

विद्यालयी शिक्षा की विभागीय संरचना, कृत्य और शक्तियाँ

3- (1) राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा के नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मण्डलीय अपर निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड स्तर अथवा न्याय पंचायत स्तर अथवा समुचित स्तर पर क्रमशः विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल की स्थापना कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल के लिए ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार ठीक समझे।

(3) उपधारा (2) में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसा नियमों में विहित किया जाय।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कृत्य

- 4- (1) विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षक-शिक्षा, शैक्षिक सहयोग तथा शैक्षिक गुणवत्ता के विकास संबंधी कृत्यों का निर्वहन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए निदेशक/अपर निदेशक तैनात कर सकेगी।
- (3) उपधारा (2) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्—
- (क) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना;
- (ख) पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री एवं अन्य शिक्षण सामग्री की संरचना करना;
- (ग) शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री की संरचना, संशोधन एवं परिष्कार करना;
- (घ) विभागीय परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम एवं सामग्री की संरचना करना;
- (ङ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा अन्य सामग्री परिषद के विचारार्थ प्रेषित करना;
- (च) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना;
- (छ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री, शोध कार्यों का प्रकाशन करना;
- (ज) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना;
- (झ) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना;
- (ञ) शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना;
- (ट) सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन करना;
- (ठ) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन शैक्षिक प्रविधियों का समावेश करना;
- (ड) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण रखना;
- (ढ) अपने कार्यों तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए वार्षिक अनुमानों तथा लेखों को तैयार करना;
- (ण) विभिन्न परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) को संचालित करना और कराना;
- (त) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित होने वाली अन्य परियोजनाओं से समन्वय स्थापित करना;
- (थ) राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्य योजनाओं में सहयोग करना;
- (द) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आई.ए.एस.ई.) तथा कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई.) से समन्वय स्थापित करना;
- (ध) विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (न) शैक्षिक उन्नयन हेतु परिषद/राज्य सरकार को सुझाव प्रेषित करना।

भाग- 3

परिषद की स्थापना, उसके सदस्यों की पदावधि, अन्य शर्तें एवं उसकी शक्तियाँ

परिषद की स्थापना

5- उस तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद की स्थापना कर सकेगी।

परिषद का संगठन

6-(1) परिषद में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (क) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा— पदेन सभापति;
- (ख) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रधान, जिनमें एक राजकीय (बालक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के प्रधान हों;
- (ग) प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन प्रधान जिनमें एक राजकीय (प्राथमिक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के प्रधान हों;
- (घ) माध्यमिक संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षक, जिनमें एक राजकीय (बालक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के शिक्षक हों, तथा प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन शिक्षक जिनमें एक राजकीय (प्राथमिक) संस्था, एक अशासकीय संस्था और एक महिला संस्था के शिक्षक हों ;
- (ङ) उत्तरांचल में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] प्रत्येक विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक-एक प्राध्यापक;
- (च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;
- (छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;
- (ज) मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्राध्यापक;
- (झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों में से, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो सदस्य;
- (ञ) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, चार व्यक्ति;
- (ट) संस्कृत शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक व्यक्ति;
- (ठ) उर्दू शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक व्यक्ति;
- (ड) उद्योग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;
- (ढ) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, पदेन;
- (ण) वित्त विभाग का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;
- (त) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक मनोवैज्ञानिक;
- (थ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक जिला शिक्षा अधिकारी;
- (द) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्राचार्य, तथा दो शिक्षक-प्रशिक्षक;
- (ध) राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय का, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रधानाचार्य;
- (न) महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून का प्राचार्य, पदेन;
- (प) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;
- (फ) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तरांचल का अपर निदेशक, पदेन;
- (ब) अपर शिक्षा निदेशक, मुख्यालय, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, पदेन;
- (भ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;
- (म) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;
- (य) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

- (र) परिषद का सचिव, पदेन, जो परिषद का सदस्य-सचिव होगा।
(2) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए शिक्षा से सम्बद्ध चार व्यक्तियों से अनधिक को परिषद का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।
(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर लिया गया है:

सदस्य का हटाया जाना

- 7- (1) राज्य सरकार परिषद से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में -
(क) कार्य करने से इंकार करता है,
(ख) कार्य करने में असमर्थ हो गया है,
(ग) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उसका पद पर बना रहना लोक हित में हानिकारक है, या
(घ) सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त है।
(2) इस धारा के अधीन हटाये जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है तब हटाये गए सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।
(3) ऐसा कोई सदस्य जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, परिषद के अधीन सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुनर्नियुक्त न हो सकेगा।

सदस्यों की पदावधि

- 8- पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें;
परन्तु यह कि सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

- 9- परिषद के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है नाम निर्दिष्ट किया था और आकस्मिक रिक्ति में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति परिषद का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

परिषद की शक्तियां

- 10- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्-
(क) इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक स्तर की शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना;
(ख) ऐसे पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का, पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण;
(ग) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की रचना, परिष्कार अथवा संशोधन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से अनुरोध करना;
(घ) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना:-

- (एक) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; जिसे परिषद द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या
- (दो) जो अध्यापक हों, या
- (तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों;
- (द) अपने द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;
- (च) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना, शिक्षक प्रशिक्षण विषयक परीक्षाओं एवं विभागीय परीक्षाओं का संचालन करना;
- (छ) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;
- (ज) ऐसे शुल्क माँगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायं;
- (झ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;
- (ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट माँगना;
- (ट) संस्थाओं द्वारा मान्यता के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदनों एवं अपीलों पर कार्यवाही करना;
- (ठ) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित होने वाली अन्य परियोजनाओं से समन्वय स्थापित करना;
- (ड) राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर के अन्य अभिकरणों से शैक्षिक कार्य योजनाओं में सहयोग करना;
- (ढ) राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज इन एजुकेशन (आई.ए.एस.ई.) तथा कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई.) से समन्वय स्थापित करना;
- (ण) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना अथवा सहयोग प्राप्त करना, जो परिषद अवधारित करे;
- (त) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना और कराना;
- (थ) पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अन्य सामग्री, शोध कार्यों का प्रकाशन करना;
- (द) विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक-शिक्षा संबंधी सामग्री एवं विभिन्न प्रकाशनों का प्रसार करना;
- (ध) विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विभागीय परीक्षा हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करना;
- (न) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हो;
- (प) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई माँगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;
- (फ) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संगठित किए गए परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।
- (ब) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य शक्ति का प्रयोग।

भाग- चार

नये विषयों अथवा उच्चतर कक्षाओं के लिए मान्यता

किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

11- धारा 10 के खण्ड (उ) में किसी बात के होते हुए भी,

(क) परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकती है।

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन

12-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण—

(एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 10 के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गई है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है, उसमें शिक्षा देने के लिए;

(दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए,

अपने स्रोत से सेवायोजित कर सकता है।

(2) धारा 11 के अधीन कोई मान्यता और अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति जिला शिक्षा अधिकारी को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अनुपालन न किया जाय।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हताएं, जैसी विहित की जाय, न रखता हो।

(5) किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 12 के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी।

छूट

13-इस अधिनियम की धारा 42 से 51 की कोई बात धारा 12 के अधीन किस संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

भाग- पाँच

डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों का अनाधिकृत प्रयोग, दान और शास्ति

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

14- कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति-युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक

15- किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 14 अथवा 15 का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

16- धारा 14 अथवा 15 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग

17- जहाँ किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

भाग- छः

राज्य सरकार की शक्तियां

राज्य सरकार की शक्तियां

- 18--(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने की शक्ति होगी।
- (2) परिषद राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगी।
- (3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निदेशों का पालन करेगी।
- (4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद को तत्काल सूचना देगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।

भाग- सात

परिषद के सभापति की शक्तियां, सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कृत्य तथा परिषद की समितियों का गठन तथा समितियों को शक्तियां प्रतिनिहित किया जाना

परिषद के पदाधिकारी

19-- परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:--

- (1) सभापति,
- (2) सचिव,
- (3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा परिषद का पदाधिकारी घोषित किया जाये।

सभापति की शक्तियां और कृत्य

- 20--(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है, और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
- (2) सभापति को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर, जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।
- (3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।
- (4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायें।

सचिव की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और कृत्य

- 21— (1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जैसी नियमों में विहित की जाये।
 (2) परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 (3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती हैं, जिसके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हों।
 (4) वह परिषद का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
 (5) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।
 (6) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायं।

समितियों का गठन

- 22—(1) परिषद विनियमों में विहित रीति से निम्नलिखित समितियों को गठित कर सकेगी। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियाँ गठित की जा सकेगी।
 (2) परिषद की निम्नलिखित समितियाँ होंगी, अर्थात्—
 (क) पाठ्यचर्या समिति,
 (ख) पाठ्यक्रम समिति,
 (ग) परीक्षा समिति,
 (घ) परीक्षाफल समिति,
 (ङ) मान्यता समिति, और
 (च) वित्त समिति।
 (3) पूर्वोक्त समितियों में केवल परिषद के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके—
 (क) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान,
 (ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित शिक्षक,
 (ग) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में उल्लिखित प्राध्यापक,
 (घ) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) में उल्लिखित विधायक
 (ङ) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ), (ट), (ठ) तथा (ड) और धारा 6 उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति
 (च) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब), (भ), (म) तथा (य) में उल्लिखित व्यक्ति:
 परन्तु यह कि परिषद का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक समितियों का सदस्य नियुक्त नहीं हो सकेगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।
 (4) उपधारा (2) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद अन्य समितियाँ, यदि कोई हों, जो विहित की जायं, गठित कर सकेगी और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियाँ गठित की जा सकेगी।
 (5) पूर्वोक्त समितियों का गठन ऐसी रीति तथा ऐसी अवधि के लिए किया जा सकेगा, जो विहित किया जाय।

परिषद द्वारा समितियों को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग

- 23— इस अधिनियम द्वारा परिषद को प्रदान किए गए ऐसी अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें परिषद ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेंगे और परिषद ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।

विनियम बनाने की परिषद की शक्ति

24-(1) परिषद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबंध करने के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात् -

- (क) समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कर्तव्य,
- (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना,
- (ग) परिषद की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें,
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद की परीक्षाओं में प्रविष्ट किए जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे,
- (च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क,
- (छ) परीक्षाओं का संचालन,
- (ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और अधिकार,
- (झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना,
- (ञ) संस्थाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध तथा मान्यता के सम्बन्ध में ग्राम, न्याय पंचायत, विकासखण्ड, जिला, मण्डल स्तर पर समितियों का गठन तथा उनको अधिकारों का प्रतिनिधायन,
- (ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके,
- (ठ) वे शर्तें जिनके अधीन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए जायेंगे,
- (ड) अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन की रचना।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई विनियम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

परिषद की उपविधियां बनाने की शक्ति

25-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध करने के लिए उपविधियां बना सकती है, अर्थात् -

- (क) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या का अवधारण,
- (ख) ऐसे विषय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) राज्य सरकार परिषद या उसकी समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकेगी।

रिक्तियों आदि से परिषद और उसकी समितियों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

26- परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही परिषद में कोई रिक्त विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद या उसकी समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना

27- परिषद या उसकी समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

28—(1) परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिए ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।

भाग—आठ

प्रशासन योजना, प्रबन्ध समिति का कार्यकाल, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

प्रशासन योजना

29—(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है), जिसे मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निदेशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग-अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुसंधान किए जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है, तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 30 और 31 के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा ऐसी जाँच करने पर, जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

परन्तु यह कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण— इस प्रश्न का अवधारण करने में, कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

प्रशासन योजना का अनुसूची से असंगत न होना

30 — किसी ऐसी संस्था, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना अनुसूची एक में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी।

प्रशासन योजना का निदेशक के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना

31— जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी समय धारा 29 के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गई हो और ऐसी प्रशासन योजना अनुसूची एक के उपबन्धों से असंगत हो, वहाँ संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः महीने के भीतर प्रशासन योजना का प्रारूप प्रथम अनुसूची में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तैयार कर निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रशासन योजना में संशोधन या परिवर्धन की अपेक्षा और प्रशासन योजना का स्वीकार किया जाना

32— (1)— धारा 29 अथवा धारा 31 के अधीन प्रस्तुत प्रशासन योजना में निदेशक किसी परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गए किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ, जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, या तो धारा 29 अथवा धारा 31 के अधीन प्रस्तुत किये गए प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा, या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। निदेशक प्रशासन योजना प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गई समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

33- इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाई गयी प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक प्राविधानित नहीं होगा।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना

34- (1) निदेशक स्वयं अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण कर अथवा करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि-
(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के, जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारी-वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है, व्यवस्था करने में तीन वर्ष तक लगातार विफल रही है, या

(पाँच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्ध का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 31 के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुमोदित की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 32 के अधीन नोटिस दिए जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है, तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिए परिषद को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पाँच वर्ष से अधिक न हो।

परन्तु यह और कि यदि उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बताये कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध-समिति द्वारा बताये गए कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हो, वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किए जाने की तारीख को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील की तारीख को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त तारीख से स्थागित समझी जायेगी,

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पाँच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु यह कि निलम्बन उस तारीख से, जब वह प्रभावी हो, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— (एक)— सन्देशों को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

(दो)—उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का प्रबन्ध के सामान्य-क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा,

परन्तु यह कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किए गए निदेश के अनुसरण में परिषद द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

35— (1) जहाँ धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहाँ—

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते, यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिए जाने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा और धारा 34 में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण-कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन- सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियाँ, यदि कोई हो, सम्मिलित है और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी हैं और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

भाग- नौ

अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन समिति का गठन

अध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

36- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक, जिला शिक्षा अधिकारी को रिक्ति की सूचना देने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने और रिक्ति को कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों में विहित अर्हता उसके पास न हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका संदाय ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जायगा।

(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन-पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

(दो) आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी;

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें पद हेतु नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गए यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान कम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायेगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर देगा और ऐसे परिणामी आदेश देगा, जो आवश्यक हो।

(11) कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था में किसी प्रधान अथवा अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी—

(क) किसी बालिका संस्था में पहले से स्थायी अध्यापक के रूप में काम कर रहे किसी अभ्यर्थी की उसी संस्था के प्रधान के पद से भिन्न अध्यापक के किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, या

(ख) संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी की अध्यापक के रूप में नियुक्ति

(12) संस्था में लिपिक वर्गीय तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों में विहित की जाय।

चयन समिति का गठन

37— (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी—

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट करे— सभापति;

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, सदस्य;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है,

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम—निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) संस्था में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रान्तीय शिक्षा सेवा संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी

(4) संस्था में समूह 'घ' के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) ऐसी संस्था का प्रधान;

(दो) संस्था के दो वरिष्ठतम शिक्षक;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो उपर्युक्त अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति उपर्युक्त श्रेणियों से मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञों की नामिका में नामित किया जायेगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के चयन के लिए ऐसा व्यक्ति संस्था के प्रधान द्वारा नामित किया जायेगा।

(5) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) या उपधारा (2) के खण्ड (एक) या उपधारा (3) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायेगा।

(6) प्रत्येक मण्डल के लिए विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायेगी।

(7) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति में किया जायेगा,

परन्तु यह कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी।

परन्तु यह और कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) खण्ड (तीन) या उपधारा (2) खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(8) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

38- (1) धारा 36 की उपधारा (4) और धारा 37 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पाँच सदस्य होंगे,

परन्तु यह कि चयन समिति के सदस्यों में से एक—

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा,

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गए किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक—

(क) संस्था के प्रधान के मामले में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो, और

(ख) अध्यापक के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो।

(5) जहाँ मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गए अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है, वहाँ प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

39- (1) मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:-

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें (जिसके अन्तर्गत जाँच या अपेक्षित जाँच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जाँच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियाँ और नोटिस देकर सेवा समाप्त किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतन-क्रम तथा वेतनों का संदाय,

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) कोई भी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) जिला शिक्षा अधिकारी प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि दण्ड के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी करने के पूर्व प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे के भीतर कारण बताये कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की सूचना पाने की तारीख से एक माह के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा। यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही जिला शिक्षा अधिकारी की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायेगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वह अपील हुई थी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिए बाध्य होंगे।

(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में--

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

- (ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या
- (ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जाँच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।
- (6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।
- (7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उस आदेश की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।
- (8) यदि किसी समय जिला शिक्षा अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना बिलम्ब किया जा रहा है तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गए निलम्बन के आदेश प्रतिसंहत कर सकता है।
- (9) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्रधानाचार्य (प्रिसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि—

- (क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या
- (ख) वे पति या पत्नी हों, या
- (ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक-दूसरे से सम्बन्धित हों।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति का विनियमितीकरण

40— (1) किसी ऐसे अध्यापक को प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो—

- (क) (एक) समय-समय पर यथासंशोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा-2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 7 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 24 मार्च 1999 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था, और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित किया गया था।
- (दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार 6 अगस्त 1993 को या उस के पश्चात् किन्तु 26 जनवरी 2005 के पश्चात् नहीं, प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य के रूप में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया हो।
- (तीन) प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में मौलिक रिक्ति के प्रति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार तदर्थ आधार पर 07 अगस्त 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 26 जनवरी 2005 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो।
- (ख) उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हताएं रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

- (ग) ऐसी नियुक्ति की तारीख से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक संस्था में निरन्तर कार्यरत रहा हो;
- (घ) नियमितीकरण हेतु गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
- (2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति की तारीख से यथाअवधारित ज्येष्ठता क्रम में की जायेगी।
- (ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही तारीख को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत अधिक आयु वाले अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।
- (3) उपधारा (1) व (2) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति की तारीख से परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) व (2) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसी तारीख को, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।
- (5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायेगा, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को ऐसा पद पहले से ही भरा हुआ था या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार चयन कर लिया गया हो।
- (6) कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, यदि वह सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि—

- (क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या
- (ख) वे पति या पत्नी हो, या
- (ग) द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक-दूसरे से सम्बन्धित हों
- (7) विनियमितीकरण हेतु चयन समिति — प्रत्येक मण्डल के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (एक) उस मण्डल का मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक — अध्यक्ष
- (दो) उस मण्डल का वरिष्ठतम मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक — सदस्य
- (तीन) सम्बन्धित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त प्रकार से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो उपर्युक्त श्रेणियों से एक व्यक्ति, जो जिला शिक्षा अधिकारी से अनिम्न स्तर का हो, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा।

अंशकालिक अध्यापक/प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कार्यरत पी.टी.ए. शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति

41— प्रबन्ध समिति द्वारा 05-09-2003 की तारीख तक अपने निजी स्रोतों से सेवायोजित ऐसे अंशकालिक अध्यापक/पी0टी0ए0 शिक्षक को प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ नियुक्ति दी जायेगी जिनके लिए तत्समय नियमानुसार पद सृजित थे, और जो संगत पदों के लिए विहित अर्हताएँ पूर्ण करते हों एवं जिन्हें राजकोष से मानदेय का संदाय अनुमन्य किया गया हो।

भाग— दस

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

42— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से किया जायेगा।

समय के भीतर और अनाधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का संदाय

- 43—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों का इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (3) के उपबन्धों के रहते हुए वेतन का संदाय बिना किसी काट कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।
- (3) यदि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाये तो जिला शिक्षा अधिकारी उसका संदाय इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 45 में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा में उल्लिखित तारीख से दस दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उस वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे संदाय के संबंध में समायोजन यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

- 44 —(1) जिला शिक्षा अधिकारी किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन संदाय के संबंध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी हैं) माँग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए निदेश भी हैं) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।
- (2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिए दिया जाये तो उसका अनुपालन इस अधिनियम के विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- (3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उनमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थित हो,
- (ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक सेवायोजन की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थित होने में चूक करने पर उपर्युक्त निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी,
- (ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक की सेवाएँ समाप्त हो जायेंगी और वह अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और न ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही अधिनियम में यथास्थिति उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो,
- (घ) विशेषतया, और एतदर्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् राज्य सरकार किसी अध्यापक के वेतन के संदाय के लिए धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरदायी नहीं होगी।

(4) प्रबन्धाधिकरण, या उसके चूक करने पर जिला शिक्षा अधिकारी इस अधिनियम या चयन, नियुक्ति या नियुक्ति के अनुमोदन की रीति के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अध्यापक के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को स्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

कतिपय राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं की दशा में वेतन का संदाय करने की प्रक्रिया

45—(1) प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा।

परन्तु यह कि लेखा खोले जाने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाये कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट लेखा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण की किसी एक चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो तो जिला शिक्षा अधिकारी बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार, और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायें, जिला शिक्षा अधिकारी के निदेशों के अनुसार, अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिए निदेश दे, तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे उक्त लेखा में, ऐसी तारीख तक जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार से उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाये तो जिला शिक्षा अधिकारी आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश्य रियायतों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।

(4) उक्त लेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का संदाय,

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,

(ग) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाये।

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन का संदाय के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायेगा।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का संदाय उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के संबंध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक, या सहकारी बैंक न हों, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जायेंगे।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

46—(1) यदि जिला शिक्षा अधिकारी का किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 44 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 43 अथवा धारा 45 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो यह मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को यह सिफारिश कर सकता है के उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाये।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है,

परन्तु यह कि मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(i) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो, या

(ii) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है,

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ii) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा और विशेष रूप से धारा 45 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार के संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अपील

47- धारा 46 के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने के मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

पुनरीक्षण

48- राज्य सरकार धारा 47 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णित किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ माँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे,

परन्तु यह कि किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अधिक्रमण करने या उसके अधिक्रमण की अवधि के बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाये।

पदों के लिए अनुमोदन

49- राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।

वेतन के संबंध में दायित्व

50- (1) राज्य सरकार प्रत्येक राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी होगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के पश्चात किसी अवधि के संबंध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो, उस राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था द्वारा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिए राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

शास्ति तथा प्रक्रिया

51-(1) यदि धारा 44 के अधीन किसी निदेश अथवा धारा 43 या धारा 45 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाये तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी, अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा 43 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो छः माह तक का हो सकता है, या अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) कोई भी न्यायालय मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

भाग— ग्यारह

प्रकीर्ण

संस्थाओं के कतिपय वर्गों को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति

52—(1) धारा 29, 30, 31, धारा 34 की उपधारा (2) से उपधारा (14) तक के तथा धारा 35 से धारा 51 के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एवं पोषित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे, या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे और इस प्रकार लागू किए गए उपबन्ध, यदि कोई हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन

53— राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञापित प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को, सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह परिषद के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

54— इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या विद्यमान समिति या परिषद के या राज्य सरकार के या समिति या परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या राज्य सरकार या समिति या परिषद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

55— इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

56—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाओं का लागू होना

57— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्थाएं, जहाँ तक वे शिक्षा के प्रबन्ध से संबंधित हैं, लागू होंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और कर्मचारियों का राज्य सरकार के अधीन होना

58— इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त शिक्षक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जिसमें कोई परिवेक्षणीय या निरीक्षणीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी हैं, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे और वे राज्य सरकार के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और उन पर राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा शर्तें लागू होंगी।

बेसिक शिक्षा परिषद या स्थानीय निकाय की सम्पत्तियों के संबंध में स्थिति

59— (1) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख के ठीक पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद की समस्त सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में अन्तरित हो जायेंगी।

(2) जहाँ किसी भवन या उसके भाग पर बेसिक शिक्षा परिषद का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहाँ ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित हो जायेगी।

(3) जहाँ किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से तत्काल पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद का अध्यासन था, वहाँ राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से, ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेन्सधारी हुआ समझा जायेगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा पट्टा या अन्य संलेख या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

60— उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002, उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 तथा उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा निरसित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची एक

(धारा 30 देखिए)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा—

प्रत्येक प्रशासन योजना में—

- (1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;
- (2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;
- (3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी;
प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।
- (4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;
- (5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदाधारियों की शक्तियां और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों;
- (7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जाँच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

अनुसूची दो
(धारा 39 तथा 40 देखिए)

सम्बन्धियों की सूची

- 1-पिता
- 2-माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)
- 3-पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)
- 4-पुत्र-वधू
- 5-पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)
- 6-दादा
- 7-दादी
- 8-नानी
- 9-नाना
- 10-पौत्र
- 11-पौत्र-वधू
- 12-पौत्री
- 13-पौत्री का पति
- 14-दामाद
- 15-नाती
- 16-नाती की पत्नी
- 17-नातिन
- 18-नातिन का पति
- 19-भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)
- 20-भाई की पत्नी
- 21-बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)
- 22-बहनोई
- 23-पत्नी (या पति) का भाई
- 24-ससुर
- 25-साली या ननद
- 26-भतीजा
- 27-भतीजी

आज्ञा से,
यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

No.728/Vidhayee & Sansadiya Karya/2006

Dated Dehradun, April 22, 2006

NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal School Education Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22-04-2006.

THE UTTARANCHAL SCHOOL EDUCATION ACT, 2006

(ACT No. 08 of 2006)

WHEREAS, it is expedient to establish a Board to regulate and supervise the system and process of School Education, Teacher Education and Departmental Training within the unified structure of Elementary and Secondary Education in Uttaranchal, and to prescribe curriculum therefore--

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted by the Uttaranchal State Assembly in the 57th Year of the Republic of India as follows :

1- Short title, Extent and Commencement:-

- (1) This Act may be called the Uttaranchal School Education Act, 2006
- (2) It extends to the whole of the Uttaranchal State.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, notification in the official Gazette, appoint.

2- Definitions:- In this Act unless there is repugnant in the subject or context-

- (a) "Board" means the Board of School Education, Uttaranchal;
- (b) "Centre" means an institution or a place fixed by the Board for purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto;
- (c) "Director" means the Director of Education, Uttaranchal;
- (d) "District Education Officer" means the District Education Officer in charge of the district;
- (e) "Employee" of an institution receiving Maintenance grant from State funds means a non-teaching employee in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the Institution;
- (f) "Head of Institution" means the Principal or Head master, as the case may be, of an institution;
- (g) "Institution" means a recognized Intermediate College, High school, Junior High School and Primary School;
- (h) "Institution receiving Maintenance grant from the State funds" means a recognized institution receiving maintenance grant from State Government;
- (i) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations at Centre;
- (j) "Local Bodies" means the Zila Panchyat, Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchyat respectively;

(k) "Maintenance grant" means such grant-in-aid of an institution, as the State Government by the general or special order in that behalf direct to be treated as maintenance grant appropriate to the level of the institution;

(l) "Management" in relation to any institution, means the Committee of Management constituted in accordance with the Scheme of administration, if any, and includes the Manager or other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution;

(m) "Prescribed" means prescribed by Regulations under this Act;

(n) "Property" in relation to a recognized institution, includes all immovable properties belonging to or endowed wholly or purely for the benefit of the institution, including lands, buildings and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the Management;

(o) "Recognition" means recognition for the purpose of adopting the curriculum prescribed by the Board, and for preparing candidates for admission to the Board's Examinations;

(p) "Regional Additional Director, Education" means the Additional Director of Education of the region;

(q) "Regulation" means regulations made by the Board under this Act;

(r) "Salary" of teacher or employee of an institution receiving maintenance grant from the State Government means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance, for the time being payable to him at the rates approved for the purpose of payment of maintenance grant;

(s) "State Government" means the State Government of Uttaranchal;

(t) "Center Superintendent" means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent and Associate Superintendent.

(u) "Teacher" of an institution receiving Maintenance grant from the State funds means a Principal, Headmaster or other teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution and includes any other teacher employed according to rules in fulfillment of the conditions of recognition of the institution or as a result of the opening with the approval of the District Education Officer of a new section in an existing class;

3- Departmental structure of the School Education, functions and powers-

(1) The State Government may establish Block Resource Center, Nyay Panchyat Resource Center and Vidyalya Sankul Kendra respectively to provide the School Education for planning, implementation, control, administration, direction, monitoring and financial management in addition Director School Education, Director State Council of Educational Research and Training, Regional Additional Director and District Education officer .

(2) The Government Shall appoint such officers and employees for the Block Resource Center, Nyay Panchyat Resource Center and Vidyalya Sankul Kendra as the State Government may deem fit.

(3) The officers and employees appointed under sub-section (2) shall discharge such functions and exercise powers, as may be prescribed in the rule.

4-. Functions of the State Council of Educational Research and Training.

(1) The Developmental functions regarding curriculum, syllabus, teaching and training material, teacher education, educational support and educational quality in the school education system shall be performed by the State Council of Educational Research and Training.

(2) The State Government may post Director/Additional Director for the State Council of Educational Research and Training.

(3) Without prejudice to the generality of the preceding power, the following functions shall be discharged by the officers posted under sub-section (2)-

(a) To prepare, modify or revise curriculum and syllabus for different stages of school education;

(b) To prepare text-books, reading material and other instructional material;

(c) To prepare, modify and revise curriculum, syllabus and training material for teacher education;

(d) To prepare curriculum and material for Departmental examinations;

(e) To send curriculum, syllabus, reading material and other material for the consideration of the Board;

(f) To conduct researches of different kinds, or get them conducted, in the field of School Education and Teacher Education;

(g) To publish curriculum, syllabus, reading material, other material, research work;

(h) To extend material and different publications regarding School Education and Teacher Education;

(i) To determine evaluation process for different stages of School Education, Teacher Education and Departmental Examination;

(j) To evaluate educational quality;

(k) To conduct pre service and in service training programmes;

(l) To induct new educational technology in the field of education and training;

(m) To administer general control over District Institutes of Education and Training;

(n) To prepare annual estimates and accounts for carrying out activities related to its functions and functions related to teacher education;

(o) To conduct and get conducted different projects;

(p) To establish coordination with Uttaranchal Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Sarva Shiksha Abhiyan and other projects to be conducted in the field of school education;

(q) To cooperate with other authorities at National and Regional level in formulating educational plans;

(r) To establish coordination with State Institute of Educational Management and Training, Institute of Advanced Studies in Education and College of Teacher Education;

- (s) To provide educational support and guidance at all levels of school education;
 (t) To submit to Board/State Government suggestions for educational improvement.

5. Establishment of the Board- With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be a Board to be known as the Uttaranchal Board of School Education.

6- Constitution of the Board- (1) The Board shall consist of a Chairman and the following members, namely:

(a) Director, School Education- Chairman, ex officio;

(b) three heads of secondary institutions nominated by the State Government, one from a Government (boys) institution, one from private institution and one from girls' institution;

(c) three heads of institutions of primary school and junior high school level, nominated by the State Government, one from a Government (primary) institution, one from private institution and one from girls' institution;

(d) three teachers of secondary institutions nominated by the State Government, one from a Government (boys) institution, one from private institution and one from girls' institution, and three teachers of institutions of primary school and junior high school level, nominated by the State Government, one from a Government (primary) institution, one from private institution and one from girls' institution;

(e) one teacher each of Universities (other than an Agricultural or Engineering University) established by law in Uttaranchal or of any collage affiliated of associated thereto, nominated by the State Government;

(f) one teacher imparting education in agriculture and serving in a University or any college affiliated or associated thereto, nominated by the State Government;

(g) one teacher imparting education in engineering and serving in a University or any college affiliated or associated thereto, nominated by the State Government;

(h) one Professor of a Medical Collage, nominated by the State Government;

(i) two members of the State Legislative Assembly, nominated by the speaker of the State Legislative Assembly, from its members;

(j) four persons connected with education, nominated by the State Government;

(k) one persons connected with Sanskrit education, nominated by the State Government;

(l) one persons connected with Urdu education, nominated by the State Government;

(m) one representative of industries, nominated by the State Government;

(n) the Director of Technical Education, Uttaranchal, ex officio;

(o) one representative of finance department, nominated by the State Government;

(p) one psychologist, nominated by the State Government;

- (q) one District Education Officer, nominated by the State Government;
- (r) one Principal, and two teachers of District Institutes of Education nominated by the State Government;
- (s) one Principal of Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya, nominated by the State Government;
- (t) the Principal, Maharana Pratap Sports College, Dehradun, ex officio;
- (u) the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, or one representative nominated by him, ex officio;
- (v) Additional Director, State Council of Educational Research and Training, Uttaranchal, ex officio;
- (w) Additional Director of Education, School Education Directorate, Uttaranchal, ex officio;
- (x) one representative of the National Council of Educational Research and Training, New Delhi; nominated by it;
- (y) one representative of the National Council of Teacher Education, nominated by it;
- (z) one representative of the National Institute of Open Schooling, nominated by it;
- (za) the Secretary of the Board, ex officio; who shall be Member Secretary of the Board.

(2) The State Government may nominate not more than four persons connected with education to be the Members of the Board to secure the representation of minorities (whether based on religion or language). Scheduled Castes and Scheduled Tribes, not otherwise adequately represented.

(3) The State Government shall notify that the Board has been duly constituted.

7. Removal of Members:- (1) The State Government may remove from the Board any Member who, in its opinion-

- (a) refuses to act,
- (b) has become incapable to act,
- (c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the public interest, or
- (d) is otherwise unsuitable to continue as a member.

(2) No order of removal under this section shall be made unless the member concerned has been given an opportunity to submit his explanation to the State Government and when such order is passed, the seat of the member removed shall be declared vacant.

(3) A member who has been removed under this section shall not be eligible for a re-appoint as a member or in any capacity under the Board.

8. Term of office of members :- (1) Members other than ex officio members shall hold office for a term of three years as specified by the State Government;

Provided that the members shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor inters upon his office.

9. Filling of casual vacancies :- All casual vacancies among the members (other than ex officio members) of the Board or of a Committee nominated by the Board shall be filled, as soon as conveniently may be, by the person or body who nominated the member whose place has become vacant and the person nominated to a casual vacancy shall be a member of the Board for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

10- Powers of the Board :- Subject to the provisions of this Act, the Board shall have following powers, namely :

(a) To prescribe curriculum, syllabus, evaluation process, text-book, other books and instructional material, if any, at Intermediate, High School, Junior High School, Primary School level, Teacher Education and training of officers and employees in such branches of education as it thinks fit;

(b) To publish or manufacture, whether to the exclusion, complete or partial, of others or otherwise, all or any such text-books, other books or instructional material;

(c) To request the State Council of Educational Research and Training for the preparation, modification or revision of curriculum, syllabus and teaching and training material;

(d) To grant diplomas or certificates to persons who-

(i) have perused a course of study in an institution admitted to the privileges or recognition by the Board, or

(ii) are teachers, or

(iii) have studied privately under conditions laid down in the regulations and have passed the examinations of the Board under like conditions.

(f) To recognize institutions for the purpose of adopting its curriculum and its examinations;

(g) To conduct examinations at the end of different stages of school education, and to conduct teacher training examinations and departmental examinations;

(h) To admit candidates to its examinations;

(i) To demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations;

(j) To publish or withhold publication of the results of its examination wholly or in part;

(k) To call for reports form the Director on the condition of recognized institutions or of institutions applying for recognition;

(l) To take action on representations and appeals regarding recognition preferred by institutions;

(m) To establish coordination with Uttaranchal Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Sarva Shiksha Abhiyan and other projects conducted in the field of Education;

(n) To co-operate with other authorities at National and Regional level in Educational plans;

(o) To establish coordination with State Institute of Educational Management and Training, Institute of Advanced Studies in Education and College of Teacher Education;

- (p) To co-operate with other authorities in such manner and for such purpose as the Board may determine;
- (q) To conduct researches of different kinds, or get them conducted, in the field of School Education, Teacher Education and Evaluation;
- (r) To publish curriculum, syllabus, reading material, other material, research work;
- (s) To extend material and different publications regarding School Education and Teacher Education;
- (t) To determine evaluation process for School Education, Teacher Education and Departmental Examination;
- (u) To submit to the State Government its views on any matter with which it is concerned;
- (v) To see the schedules of new demands proposed to be included in the budget relating to institutions recognized by it and to submit, if it thinks fit, its views thereon for the consideration of the State Government;
- (w) To do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising Intermediate, High School, Junior High School, Primary Education and Teacher Education.
- (x) To exercise any other power by, or under this Act or any other law for the time being in force.

11- Recognition of an institution in any new subject or for a higher class:- Notwithstanding anything contained in Clause (e) of Section 10

- (a) the Board may, with the prior approval of the State Government, recognize an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class;
- (b) the District Education Officer may permit an institution to open a new section in an existing class.

12- Employment of part-time teachers or part-time instructors.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the management of an institutions may, from its own resource, employ-

- (i) as an interim measure, part-time teachers for imparting instructions in any subject or group of subjects or for a higher class for which recognition is given or in any section of an existing class for which permission is granted under Section 10 (e);
- (ii) part-time instructors to impart instructions in moral education or any trade or craft under socially useful productive work or vocational course.

(2) No recognition shall be given and no permission shall be granted under Section 11 unless the Committee of Management furnishes such security in cash or by way of Bank guarantee to the District Education Officer as may be specified by the State Government from time to time.

(3) No part-time teacher shall be employed in an institution unless such conditions as may be specified by the State Government by order in this behalf are complied with.

(4) No part-time teacher or part-time instructor shall be employed unless he possesses such minimum qualifications as may be prescribed.

(5) A part-time teacher or a part-time instructor shall be paid such honorarium as may be fixed by the State Government by general or special order in this behalf.

(6) Nothing in this Act shall preclude a person already serving as a teacher in an institution from being employed as a part-time teacher or a part-time instructor under Section 12.

13- Exemption:- Nothing of section 42 to 51 of this Act shall apply in relation to part-time teachers and part-time instructors employed in an institution under Section 12.

14- Prohibition of unauthorized conferment of Diplomas and Certificates:- No person shall confer, grant or issue or hold himself entitled to confer, grant or issue any diploma or certificate or document stating or implying that the holder, grantee or recipient has pursued a course of study in any institution privately, or has passed the Intermediate, High School, Junior High School, Primary or Teacher Education examination or any examination described in manner reasonably calculated to cause it to be believed to be the Intermediate, High School, Junior High School, Primary or Teacher Education examination.

15. Bar of charging any donation for admission to an Institution.- No person connected with the management of an institution and no head of the institution or teacher or any other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates specified in any order issued by the State Government in this behalf from or on behalf of any student as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such institution.

16. Penalty of contravention of Section 14 or Section 15- Whoever contravenes the provisions of Section 14 or Section 15 Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine which may be up to five thousand rupees or with both and if the person so contravening is a society or any association of persons, every member of such society or association who knowingly and willingly authorizes or permits such contravention shall be so punishable.

17- Proper utilization of donations.- Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by an institution including an institution maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it, and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to the personal account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.

18. Powers of the State Government:- (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any of the works conducted or done

by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

(2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon its communication.

(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering an explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

(4) Whenever, in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provision, pass such order or take such other action consistent with the provisions of this Act as it deems necessary, and in particular, may, by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Board accordingly.

(5) No action taken by the State Government under subsection (4) shall be called in question.

19- Officers of the Board-

The following shall be the officers of the Board :

- (1) the Chairman,
- (2) the Secretary,
- (3) such other officers as may be declared by the Regulations to be

officers of the Board :

20- Powers and duties of Chairman- (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(2) The Chairman shall have power to convene meetings of the Board, shall call a meeting at any time after due notice, on a requisition signed by not less than one-fourth of the total membership of the Board and stating the business to be brought before the meetings.

(3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.

(4) The Chairman shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

21- Appointment, powers and duties of Secretary:- (1) The Secretary shall be appointed by the State Government upon such conditions and for such period as prescribed in the rules .

(2) The Secretary shall, subject to the control of the Board, be the administrative officer of the Board. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates and statement of accounts.

(3) He shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.

(4) He shall be responsible for keeping the minutes of the Board.

(5) He shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations.

(6) He shall exercise such other powers and discharge functions as may be prescribed by the regulations.

22- Constitution of Committees:- (1) The Board shall constitute the following committees as prescribed in the regulations. Different committees may be constituted for different areas.

(2) The following shall be the committees of the Board, namely -

- (a) Curriculum Committee,
- (b) Syllabus Committee,
- (c) Examinations Committee,
- (d) Results Committee,
- (e) Recognition Committee, and
- (f) Finance Committee.

(3) Aforesaid Committees shall consist of the members of the Board only and such Committees shall be constituted in such a way that as far as possible at least one member from each of the following classes are presented in each of the Committees-

(a) heads of institutions mentioned in Clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 6;

(b) teachers mentioned in Clauses (d) of sub-section (1) of Section 6;

(c) teachers and professors mentioned in Clauses (e), (f), (g) and (h) of sub-section (1) of Section 6;

(d) Legislators mentioned in Clauses (i) of subsection 6;

(e) persons mentioned in Clauses (j), (k), (l) and (m) of subsection (1) and subsection (2) of Section 6;

(f) persons mentioned in Clauses (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) and (z) of sub-section (1) of Section 6;

Provided that no Member of the Board shall serve on more than one of such Committees, and the term of members of the committee shall cease with the cessation of the membership of the Board.

(4) In addition to the Committees mentioned in sub-section (1), the Board shall appoint such other committees, if any, as may be prescribed and such different Committees may be appointed for different areas.

(5) Aforesaid Committees shall be constituted in such manner and the terms of members of such Committees shall be such as may be prescribed.

23- Exercise of powers delegated by Board to Committees:- All matters relating to the exercise by the Board, of powers conferred upon it by this Act which have by Regulation been delegated by the Board to any one of its committee the Board before exercising any such powers, shall receive and consider the report of the committee with respect to the matter in question.

24- Power to make Regulations of the Board:- (1) The Board may make regulations to provide for all or any of the following matters, namely.

- (a) the constitution, powers and duties of committees;
- (b) the conferment of diplomas and certificates;
- (c) the conditions of recognition of institutions for the purposes of its examinations;
- (d) the courses of study to be laid down for all certificates and diplomas;
- (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and certificates;
- (f) the fees for admission to the examinations;
- (g) the conduct of examinations;
- (h) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's examinations;
- (i) the admission of institution to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition;
- (j) appointment of committees at village, nyaya panchyat, block, district and region level for inspection, supervision, management and recognition of institutions, and delegation of powers to them;
- (k) all matters which by this Act are to be or may be provided for by Regulations;
- (l) the conditions under which grants-in-aid shall be given to institutions recognized by the Board;
- (m) the formation of parent-teachers association.

(2) No regulation under sub-section (1) shall be made except prior approval of the State Government.

25- Power of Board to make bye-laws- (1) Subject to the provisions of this Act the Board may make bye-laws to provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) such matters which are not provided for in this Act and regulations.

(2) The State Government may issue direction to amend or rescind of any bye-laws made under this section by the Board or its Committee.

26- Proceedings nor invalidated by reasons of vacancies.- No act or proceedings of the Board shall be called in question or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

27- Officers and Staff of the Board and its Committee to be public servant:- Officers and Staff of the Board or its committee shall be deemed to be public servant with in the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

28- Provisions for assistance during examination.- (1) For the conduct of Board's Examinations, evaluation of answer-books in such Examination and preparation of result thereof, the Committee of Management, Head of Institution, every teacher and other employee in relation to an institution, shall render such assistance, perform such duties and discharge such functions as may be required, entrusted or assigned to it or him by or under this Act.

(2) Where the Director is satisfied that any such Committee, Head of Institution, teacher or employee has failed to carry out any direction issued under sub-section (1), he may, for the conduct of Board's Examinations, evaluation of answer-books in such examination or preparation of result thereof, take such measures (including requisition and taking possession of the building, furniture or any other property of the institution) and for such period as appears to him to be necessary therefore.

29. Scheme of Administration.- (1) Notwithstanding anything in any law, document, or decrees or order of a Court of other instrument there shall be Scheme of administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every recognized institution, which shall be submitted alongwith the application for recognition for the sanction of the Director. The Scheme of Administration shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Head of the institution and two teachers, thereof, who shall be selected by rotation according to seniority in the manner to be prescribed by Regulations, shall be ex-officio members of the Committee of Management with a right to vote.

(2) No member of the Committee of Management shall either attend a meeting of the committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any Regulations, the respective powers, duties and functions of the Head of the Institution and Committee of Management in relation to the institution.

(4) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority, there shall be separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the Regulations for any class of institution.

(5) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to or change in the Scheme of Administration shall be made at any time without the prior approval of the Director.

Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Director refusing to approve an amendment or change in the Scheme of Administration, the State Government, on the representation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest of the institution, order the Director to approve of the same, and thereupon the Director shall act accordingly.

(6) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section (5) and Sections 30 and 31.

(7) Whenever there is dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Regional Additional Director of Education upon such enquiry as is deemed fit to be in actual control of its affair may, for purpose of this Act, be recognized to constitute the Committee of Management of such institution until a Court of competent jurisdiction directs otherwise :

Provided that the Regional Additional Director of Education shall, before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to make representations in writing.

Explanation- In determining the question as to who is in actual control of the affairs of the institution, the Regional Additional Director of Education shall have regard to the control over the funds of the institution and over the administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under sub-section (5) and other relevant circumstances.

30. Scheme of Administration not to be inconsistent with the Schedule:- The Scheme of Administration in relation to any institution, whether recognized before or after the commencement of this Act shall not be inconsistent with the principles laid down in the First Schedule.

31. Scheme of Administration to be Presented for sanction before the Director:- Where in relation to any institution, the Scheme of Administration has been or deemed to have been approved under Section 29 at any time before the commencement of the this Act and such Scheme of Administration is inconsistent with the provisions of this Act, the Institution shall submit, within a period of Six months from such commencement, a fresh Scheme of Administration Consistent with the principals laid down in the first schedule for the approval of the Director.

32. Requirement of Amendment or Alteration in the Scheme of Administration:- (1) While making any suggestion in the Scheme of Administration submitted under section 29 or 31 the Director shall send, within such period of time as may be prescribed, a notice to such institution suggesting any alteration or modification therein and requiring the institution to submit a fresh Scheme of Administration or to amend or alter the existing Scheme.

(2) While making any suggestion in the Scheme of Administration, the Director shall give his reasons therefore and shall also afford an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified in the notice.

(3) The Director shall consider any representation made in accordance with sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to any alteration or modification suggested under sub-section (1) or with any other changes as may appear to him to be just proper :

Provided that where the Director proposes to make any new alteration or modification in the Scheme of Administration, he shall give an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified by him.

(4) Subject to the provisions of this Act, the Director shall, within such period of time as may be prescribed, either approve the Draft Scheme of Administration submitted under Section 29 or section 31, or suggest any alteration or modification in the Scheme of Administration.

Provided that if the Director does not suggest any alteration or modification in the Draft Scheme of Administration within the period of time prescribed by regulations the Draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved.

33. Term of Management Committee:- In the Scheme of Administration framed under Section 29 of this Act, the term of office of the Committee of Management shall not be prescribed for a period exceeding three years.

34. Inspection of the recognized Institution and removal of defect:- (1) The Director may inspect a recognized institution or cause it to be inspected by the departmental officers from time to time.

(2) The Director may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

(3) If on the receipt of information or otherwise, the Director is satisfied that-

(i) the Committee of Management of an institution has failed to comply with the judgment of any Court or any direction made under this Act or any other law for the time being in force; or

(ii) the Committee has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring to maintenance of academic standard in the institution or has appointed or retained in service any teaching or non-teaching staff in contravention of the provision of this Act or the Regulations; or

(iii) any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of the Committee of Management has affected the smooth and orderly administration of the institution concerned; or

(iv) the Committee has persistently failed for three years to provide the institution with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory equipment or other facilities as are necessary for the efficient administration of such institution; or

(v) the Committee has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the institution to its detriment or has transferred any property in contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974; or

(vi) the draft of the Scheme of Administration had not been submitted within the time allowed therefore under Section 31, or that the Management of the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration or the affairs of the institution are being otherwise mismanaged;

(vii) the Scheme of Administration in relation to an institution, approved before the commencement of this Act, is inconsistent with the provisions of this Act and the management of the Institution has failed to alter or modify it within a reasonable time despite notice under Section 32, he may refer the case to Board for withdrawal of recognition of such institution, or issue notice to the Committee of Management to show cause within thirty days from the date of receipt of notice why an order under sub-section (4) should not be made.

(4) Where the Committee of Management of an institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (3) or within such extended time as the Director may, from time to time allow, or where the Director is, after considering the cause shown by the Committee of Management satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section (3) exists, he may recommend to the State

Government to appoint an authorized Controller for that institution and thereupon, the State Government may, by order, for reasons to be recorded, authorize any person (hereinafter referred to as the authorized Controller) to take over, for such period not exceeding two years, as may be specified, the Management of such Institution and its properties :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and its properties, it may from time to time, extend the operation of the order, for such period not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the period specified in the initial order, but excluding the period specified in sub-section (8), does not exceed five years :

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the authorized Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that a Committee of Management has been lawfully constituted.

(5) If on the receipt of information or otherwise, the State Government is of opinion that in relation to an institution the ground mentioned in Clause (iii) or Clause (v) of sub-section (3) exists, and that the interest of the institution calls for immediate action, it may, notwithstanding anything contained in the said sub-section, issue notice to the Management of such institution to show cause within fifteen days from the date of receipt of such notice why an authorized Controller be not appointed in respect of such institution.

(6) Where the Committee of Management of the concerned institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (5), or within such extended time as the State Government may, from time to time, allow or where the State Government is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in Clause (iii) or Clause (v) of sub-section (3) exists, it may by order and for reasons to be recorded, appoint an authorized Controller in respect of such institution and thereupon, the provisions of sub-section (4) shall mutatis mutandis apply.

(7) Every notice issued by the Director under sub-section (3) on or before the service of the notice referred to in sub-section (5) and not finally disposed of on the date of such service shall, with effect from the said date, be deemed to have been in abeyance:

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent the Director to take action upon grounds other than those mentioned in Clauses (iii) and (v) of sub-section (3) in case the notice issued by the State Government under sub-section (5) is discharged.

(8) If the State Government is of opinion that immediate suspension of the Committee of Management is also necessary or expedient in the interest of the institution concerned, it may, while issuing notice under sub-section (5), by order and for reasons to be recorded, suspend the Committee of Management and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the institution pending the order that may subsequently be made under sub-section (6) :

Provided that the suspension shall not remain in force for more than six months from the date it becomes effective.

Explanation I- For the removal of doubts, it is hereby declared that in computing the period of time specified in sub-section (4) or sub-section (8), the time during which the operation of the order was suspended by the High Court in exercise of the powers under Article 226 of the Constitution shall be excluded.

Explanation II- Nothing in sub-section (4) or sub-section (6) shall preclude the State Government from revoking an order of appointment of an authorized controller appointed under any of the said provisions.

(9) Nothing in the section shall be construed to confer on the authorized Controller appointed under sub-section (4) or sub-section (8), the power to transfer any immovable property belonging to the institution (except by way of letting from month to month in the ordinary courses of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid for institution from the State Government or the Government of India).

(10) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument (including any Scheme of Administration) relating to the management and control of the institution or its property :

Provided that the property of the institution and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the institution as provided in any such instrument.

(11) The Director may give to the authorized Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the institution or its properties, and the authorized Controller shall carry out those directions.

(12) No order made by the Board withdrawing recognition in pursuance of a reference made under sub-section (3) and order made or direction given under this section by the Director or the State Government shall be called in question in any Court, and no injunctions shall be granted by any Court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any powers conferred by or under this section.

(13) The power conferred by this section shall be in addition to, and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the authorized Controller under any other law for the time being in force.

(14) Nothing contained in sub-section (3) to (13) shall apply to institutions established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

35. Appointment of Authorized Controller:- (1) wherever an authorized controller is appointed under sub-section (4) or sub-section (8) of Section 34 -

(a) he shall take over the management of the concerned institution and its properties to the exclusion of its Committee of Management, and shall, subject to such restrictions as the State Government may impose, have all such power and authority as the Committee would have if the institution and its properties were not taken over under the said sub-section.

(b) Every person in whose possession, custody or control any property of the institution may be, shall deliver such property to the authorized Controller forthwith.

(2) Every person who on the date of the order referred to in sub-section (4) of sub-section (8) of section 34 has in his possession or control any books or other documents relating to the institution to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the authorized Controller, and shall deliver them to him or to such person as the authorized Controller may specify in this behalf.

(3) The authorized Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the institution or its properties or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the authorized Controller of such institution or property, and in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

Explanation- In this section and section 34, unless the context otherwise requires, "property" in relation to an institution, includes properties, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the institution including lands, building (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipments, furniture, stationary, stores, automobiles and other vehicles, if any, and other things pertaining to the institution, cash in hand, cash at bank, income from fees, boys funds, grants, investments and book debts, all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the institution and all books of accounts, registers and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind, of the institution.

Appointment of teachers and employees

36. Procedure for selection of teachers and heads of institutions.- Subject to the provisions of this Act, the Head of Institution and teachers of an institution be appointed by the Committee of Management in the manner hereinafter provided.

(2) Every post of Head of Institution or teacher of an institution shall except to the extent prescribed for being filled by promotion, be filled by direct recruitments after intimation of the vacancy to the District Education Officer and obtaining approval of the District Education Officer for advertising and advertisement of the vacancy containing such particulars as may be prescribed, in at least two daily newspapers having wide circulation in the State.

(3) No person shall be appointed as Head of Institution or teacher in an institution unless he possesses qualification prescribed by the Regulation.

(4) Every application for appointment as Head of Institution or teacher of an institution in pursuance of an advertisement published under sub-section (2) shall be made to the District Education Officer and shall be accompanied by such fee which shall be paid in such manner as may be prescribed.

(5) (i) After the receipt of application under sub-section (4), the District Education Officer shall cause to be awarded, in respect of each such application, quality- point marks in accordance with the procedure and principles prescribed, and shall, forward the applications to the Committee of the Management.

- (ii) The applications shall be dealt with, candidates shall be called for interview, and the meeting of the Selection Committee shall be held, in accordance with the Regulations.
- (6) The selection Committee shall prepare a list containing in order of preference the names as far as possible of three candidates for a post found by it to be suitable for appointment and shall communicate its recommendations together with such list to the Committee of Management.
- (7) Subject to the provisions of sub-section (8) the Committee of the Management shall, on receipt of the recommendations of the Selection Committee under sub-section (6), first offer appointment to the candidate given the first preference by the Selection Committee, and on his failure to join the post, the candidate next to him in the list prepared by the Selection Committee under this section, and on the failure of such candidate also, to the last candidate specified in such list.
- (8) The Committee of Management shall, where it does not agree with the recommendations of the Selection Committee, refer the matter together with the reasons of such disagreement to the Regional Additional Director of Education in the case of appointment to the post of Head of Institution and to the District Education Officer in the case of appointment to the post of teacher of an institution, and his decision shall be final.
- (9) Where no candidate approved by the Selection Committee for appointment is available, a fresh selection shall be held in the manner laid down in the section.
- (10) Where the State Government, in case of the appointment of Head of Institution, and the Director in the case of appointment of teacher of an institution, is satisfied that any person has been appointed as Head of Institution or teacher, as the case may be, in contravention of the provisions of this Act, the State Government or, as the case may be, the Director shall, after affording an opportunity of being heard to such person, cancel such appointment and pass such consequential order as may be necessary.
- (11) No male candidate shall be eligible for appointment to the post of Head of Institution or teacher in a girls institution, but the provision of this sub-section shall not apply in the context of the following-
- (a) appointment by promotion on a higher post other than the post of Head of Institution in that institution in case of a candidate already working in a girls institution as a permanent teacher, or
 - (b) appointment of a blind teacher as a teacher of music.
- (12) The selection process for the appointment of clerical (ministerial) or group-D employee shall be as prescribed.
- 37. Constitution of Selection Committees-** (1) For the selection of candidates for appointment as Head of an Institution, there shall be a Selection Committee consisting of-
- (i) the President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf, who shall be the Chairman;
 - (ii) a member to the Committee of Management other than the one referred to in Clause (i), nominated by it in this behalf;

(iii) three experts nominated by the Regional Additional Director of Education from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.

(2) For the selection of candidates for appointment as teacher in an institution, there shall be a Selection Committee consisting of-

(i) the President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf who shall be the Chairman;

(ii) the Head of such institution;

(iii) three experts nominated by the District Education Officer from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.

(3) For the selection of candidates for appointment as clerical (ministerial) staff in an institution, there shall be a Selection Committee consisting of-

(i) the President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf who shall be the Chairman;

(ii) the Head of such institution;

(iii) one officer nominated by the District Education Officer not below the rank of provincial education service cadre.

(4) For the selection of candidates for appointment as group-D employee in an institution, there shall be a Selection Committee consisting of-

(i) the Head of such institution;

(ii) two senior teachers of the institution.

Provided that if there be no member of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes in the selection committee so constituted, a person from above mentioned categories, possessing appropriate qualifications shall be nominated by the Regional Additional Director of Education or the District Education Officer. For the selection of group-D employee such a person shall be nominated by the Head of the institution.

(5) In respect of any institution for which authorized Controller has been appointed under this Act, the authorized Controller shall, in relation to such institution be deemed substituted, for the person referred to in Clauses (i) and (ii) of sub-section (1) or Clause (i) of sub-section (2), or clause (i) of sub-section (3), as the case may be.

(6) A panel of experts for every region shall be drawn by the Director in such manners as may be prescribed and shall be revised once-every three years.

(7) The business of the Selection Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed :

Provided that the majority of the total membership of a Selection Committee shall form the quorum of such Committee :

Provided further that no recommendation made by the Selection Committee in respect of any candidate shall be valid, unless two of the experts referred to in Clause (iii) of sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, have agreed to it.

(8) No proceeding of the Selection Committee shall be invalid by reason only of a defect in its constitution or vacancy among its members.

38. Savings as to minority institutions.- (1) Notwithstanding anything in sub-section (4) of Section 36 and in Section 37, the Selection Committee for the appointment of a Head of Institution or a teacher of an institution established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution shall consist of five members (including its Chairman) nominated by the Committee of Management :

Provided that one of the members of the Selection Committee shall-

- (a) in the case of appointment of the Head of an institution, be an expert selected by the Committee of Management from a panel of experts prepared by the Director;
- (b) in the case of appointment of a teacher, be the Head of the Institution concerned.

(2) The procedure to be followed by the Selection Committee referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) No person selected under this selection shall be appointed, unless-

(a) in the case of the Head of Institution the proposal of appointment has been approved by the Regional Additional Director of Education; and

(b) in the case of a teacher such proposal has been approved by the District Education Officer.

(4) The Regional Additional Director of Education or the District Education Officer, as the case may be, shall not withhold approval for the selection made under this section where the person selected possesses the minimum qualification prescribed and is otherwise eligible.

(5) Where the Regional Additional Director of Education or the District Education Officer, as the case may be, does not approve of a candidate selected under this section the Committee of Management may, within three weeks from the date of receipt of such disapproval, make a representation to the Director in the case of the Head of Institution, and to the Regional Additional Director of Education in the case of teachers.

(6) Every order passed by the Director or the Regional Additional Director of Education on a representation under sub-section (5) shall be final.

39. Conditions of service of Head of Institutions, teachers and other employees.- (1) Every person employed in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement between the managements and such employee in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the Regulations may provide for-

(a) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment, [including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude] and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice;

- (b) the scale of pay and payment of salaries;
 - (c) transfer of service from one recognized institution to another;
 - (d) grant of leave and Provident Fund and other benefits, and
 - (e) maintenance of record of work and service.
- (3) (a) No Principal, Headmaster or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the District Education Officer. The decision of the District Education Officer shall be communicated within the period to be prescribed by regulations.

(b) The District Education Officer may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the management :

Provided that in the cases of punishment, before passing orders, District Education Officer shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

(c) Any party may prefer an appeal to the Regional Additional Director, Education, against an order of the District Education Officer under Clause (b), within one month from the date of communication of the order to that party, and the Regional Additional Director may, after such further enquiry, if any, as he considers necessary, confirm, set aside or modify the order, and the order passed by the Regional Additional Director shall be final. In the case the order under appeal was passed by the very person holding the office of Regional Additional Director while acting as District Education Officer, the appeal shall be transferred by the order of the Director to some other Regional Additional Director for decision, and the provisions of this clause shall apply in relation to decision by that other Regional Additional Director as if the appeal had been preferred to himself.

(4) An order made or decision given by the competent authority under subsection (3) shall not be questioned in any Court and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.

(5) No Head of Institution or teacher shall be suspended by the Management, unless in the opinion of the Management-

- (a) the charges against him are serious enough to merit his dismissal, removal or reduction in rank; or
- (b) his continuance in office is likely to hamper or prejudice the conduct of disciplinary proceedings against him; or
- (c) any criminal case for an offence involving moral turpitude against him is under investigation, inquiry or trial.

(6) Where any Head of Institution or teacher is suspended by the Committee of Management, it shall be reported to the District Education Officer within seven days from the date of the order of suspension and the report shall contain such particulars as may be prescribed and accompanied by all relevant documents.

(7) No such order of suspension shall, unless approved by the District Education Officer, shall remain in force for more than sixty days from the date of such order, and the order of the District Education Officer shall be final and shall not be questioned in any court.

(8) If, at any time, the District Education Officer is satisfied that disciplinary proceedings against the Head of Institution or teacher are being delayed, for no fault of the Head of Institution or the teacher, the District Education Officer may, after affording opportunity to the Management to make representation revoke an order of suspension passed under this section.

(9) A person will not be eligible for appointment in an Institution, if such teacher was related to any member of the Committee of Management or the Principal or Headmaster of the institution concerned.

Explanation- For the purpose of this sub-section, a person shall be deemed to be related to another if-

(a) they are members of a Hindu undivided family; or

(b) they are husband and wife; or

(c) the one is related to the other in the manner indicated in the Second Schedule.

40. Regularization of appointment of ad hoc teachers- (1) Any such teacher shall be appointed in a substantive capacity, who

(a)(i) was appointed by promotion or by direct recruitment in lecturers grade or trained graduate on or after August 7, 1993 but not after March 24, 1999 against short term vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Board (Removal of difficulties) (Second) Order 1981, as amended from time to time, and as applicable in the Uttaranchal such vacancy was subsequently converted into a substantive vacancy.

(ii) was promoted on ad hoc basis in the post of a Head Master/ Principal on or after August 6, 1993 but not after January 26, 2005 in accordance with the provisions of section 18 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selections Boards Act, 1982 (as applicable in the Uttaranchal).

(iii) was appointed by promotion or by direct recruitment in lecturers grade or trained graduate on or after August 7, 1993 but not after January 26, 2005 against substantive vacancy in accordance with the provisions of section 18 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selections Boards Act, 1982 (as applicable in the Uttaranchal).

(b) possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Intermediate Education Act, 1921 (as applicable in the Uttaranchal),

(c) has been continuously serving the institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of this Act,

(d) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by a selection committee constituted for regularization.

(2)(a) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.

(b) if two or more teachers are appointed on the same date, the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(3) Every teacher deemed to have been appointed in a substantive capacity under sub-section (1) and (2) shall be deemed to be on probation from the date of such appointment.

(4) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and (2), and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold appointment on such date as the State Government may by order specify.

(5) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment on any post if on the date of commencement of this section, such post has already been filled or selection for such post has already been made in accordance with this Act or the regulations made there under.

(6) A person will not be eligible for appointment in an Institution, if such teacher was related to any member of the Committee of Management or the Principal or Headmaster of the institution concerned.

Explanation- For the purpose of this sub-section, a person shall be deemed to be related to another if-

(d) they are members of a Hindu undivided family; or

(e) they are husband and wife; or

(f) the one is related to the other in the manner indicated in the Second Schedule.

(7) **Selection committee for Regularization-** A selection shall be appointed for each region comprising of the following members-

(i) Regional Additional Director of Education - Chairperson

(ii) Senior Regional Joint Director of Education - Member

(iii) District Education Officer of the concerned District- Member

Provided that if there be no member of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes in the selection committee so constituted, a person from above mentioned categories, possessing appropriate qualifications shall be nominated by the Regional Additional Director of Education or the District Education Officer.

41. Ad hoc Appointment of Part Time Teacher/Acting P.T.A. Teachers by Committee of Management:- The Committee of management shall appoint on ad hoc basis such part time/P.T.A. teachers as were employed up to 5-9-2003 by the committee of management from its on resource, for which sub substantive posts were created at the time and who possessed qualification prescribed for the corresponding posts and who were paid honorarium from the government funds.

42. . Payment of salary of the teachers and other employees of Institutions receiving maintenance grant from the State Government:- Subject to the provisions of this Act, salary of the teachers and other employees of institutions receiving maintenance grant from the State Government shall be paid in hereinafter arranged manner.

43. Payment of salary within time and without unauthorized deduction. -(1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other

employee of an Institution receiving maintenance grant from the State Government in respect of any period from the day of the commencement, shall be paid to him before the expiry of the twentieth day, or such earlier day as the State Government may by general or special order in that behalf appoint, of the month next following the month in respect of which or any part of which, it is payable.

(2) The salary shall subject to the provision of sub-section (3), be paid without deduction of any kind except those authorized by the regulations or by any rules made under the Act or by any other law for the time being in force.

(3) where the salary of a teacher or other employee of an institution is not paid in accordance with sub-section (1) due to any default on the part of the management, the District Education Officer may, without prejudice to any other provisions of this Act, pay or cause to be paid within ten days from the date mentioned in that sub-section such salary from the moneys credited to the account mentioned in section 45 at the rate of salary last drawn by such teacher or employee as the case of may be, and in case fresh appointment at the rate of the minimum of the pay scale in which he has been appointed, and any adjustment in respect of such payment shall, thereafter be made as soon as possible.

44. Power to Inspect etc.—(1) The District Education Officer may at any time, for the purposes of this Act, Inspect or cause to be Inspected any Institution or call for such information and records (including registers, book of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such cannons of financial propriety (Including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Where a direction under sub-section (1) is given for retrenchment of any teacher or employee, it shall be complied within accordance with the provisions of this Act and the regulations or, as the case may be, the conditions of his service.

(3) (a) Notwithstanding anything contained in any law and without prejudice to the generality of the powers conferred under sub-section (1) the Director may any time, by general or specific order, direct a teacher, who takes part in a strike or remains in it or takes part in it otherwise, which has been prohibited under section 3 of Uttar Pradesh Maintenance of Essential Service Act 1966 (as adopted in Uttaranchal) to be present on his duty by the day or time specified in the order.

(b) Notwithstanding anything contained in this Act, on a default committed by a teacher to be present on duty, the contract with the Management regarding teachers employment shall be void from the date or time specified in the above mentioned direction.

(c) Where a contract becomes void under sub-section (2), the concerned teacher shall cease to hold appointment, and he shall not be entitled of any notice before such cessation of his services, nor shall any disciplinary enquiry be expected before such action, notwithstanding anything contained in the conditions of his services in the Act.

(d) Specifically, and without prejudice to the generality of the consequences specified for that reason, the State Government shall not be liable for the payment of salary of any teacher after such date or time specified in such direction notwithstanding anything contained in section 50.

(4) The management, or on its committing default, the District Education Officer shall be competent to appoint in substantive capacity, any person who possesses qualification prescribed for carrying out the duties of the post of a teacher, notwithstanding anything contrary in this Act or in regulations for the time being in force regarding selection, appointment or approval of appointment.

45. Procedure for payment of salary in the case of certain institutions receiving maintenance grant from the State Government. – (1) The management of every institution receiving maintenance grant from the State Government shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank or a co-operative bank a separate account to be operated jointly by a representative of the management and by the District Education Officer or such other officer as may be authorized by the District Education Officer in that behalf :

Provided that after the account is opened the District Education Officer may, if he is, subject to any rules made under this Act, satisfied that it is expedient in the public interest to do so, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke such instruction:

Provided further that in the case referred to in the proviso to sub-section (2), or where a difficulty arises in the disbursement of salaries due to any default of the management the District Education Officer may instruct the bank that the account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorized by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The management shall deposit in the said account by such date as may be specified by general or special orders by the District Education Officer, eighty percent or where the state government or an officer authorized by the state government having regard to the money required to be disbursed, directs a higher percentage, then such higher percentage as it or he may direct of the amount received from students, as fees which in accordance with the general or special orders of the state government in that behalf [and for so long as such orders are not made in, accordance with the directions of the District Education Officer] form part of the maintenance fund :

Provided that where the said percentage of fees is not deposited as aforesaid the District Education Officer may by order prohibit the management from making any realization of fees from the students, there upon the District Education Officer may recover the fees (either through the teachers of the institutions or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the said account.

(3) The entire amount of the maintenance grant and the amount of eighty percent or such higher percentage as the state government or an officer authorized by the state government may by general or special order in that behalf determine, of the grants, for reimbursement of freeships and other similar concession shall also be paid by the state government into the said account.

(4) No money credited to the said account shall be applied for any purpose except the following, namely: -

(a) payment of the said salaries falling due for any period from the date of the commencement of this Act.

(b) credit of the institution's contribution, if any, to the provident fund accounts of the teachers and employees;

(c) such other expenditure for the purposes of the institution receiving maintenance grant from the State Government as may be directed by the State Government or an officer authorized by it in that behalf.

And such portion of the balance in the account at the end of the month of July each year as exceeds the aggregate of one months salary of the teachers and employees of the institution receiving maintenance grant from the State Government after meeting the liability for payment of their salaries for the period for which fees have been realized from the students shall be made over to the management for expenditure on the institution receiving maintenance grant from the State Government.

(5) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the said account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

(6) In respect of a place where there is no scheduled bank or a co-operative bank the provision of this section shall apply with such modifications as the State Government may by notification in the Gazette specify and the references in this section to bank shall in that case be construed as references to a post office savings bank.

46. Enforcement of provisions and directions. - (1) Where the District Education Officer on the basis of an inspection of an institution receiving maintenance grant from the State Government or its records or otherwise is satisfied that its management has committed default in complying with any direction given under Section 44 or with any provision of Section 43 or Section 45 he may recommend to the Regional Additional Director of Education, that action be taken against the institution under sub-section (2).

(2) On receipt of a recommendation under sub-section (1), the Regional Additional Director of Education, may call upon the management to comply with the said direction or provision or to show cause within a week why the management should not be suspended.

(3) Where the management fails to comply as aforesaid or to show cause, or the Regional Additional Director of Education considers the cause shown to be insufficient, he may by order supersede the management for such period not exceeding one year as may be specified in the order, and authorize any person (hereinafter referred to as the Authorized Controller) to take over the

management of the institution receiving maintenance grant from the State Government for the said period:

Provided that the Regional Additional Director of Education, may where he considers it necessary or expedient so to do,-

- (i) extend the said period from time to time, so however, that the period so extended does not exceed five years in the aggregate; or
- (ii) revoke the order at any time;

Provided further that nothing in Clause (ii) of the preceding proviso shall bar the passing of a fresh order under this section.

(4) On an order being made under sub-section (3) the Authorized controller shall, to the exclusion of the management and subject only to the directions, if any, of the Regional Additional Director of Education the Director or the State Government, exercise all the powers and perform all the functions of the management, including management of the property belonging to or vested in the institution receiving maintenance grant from the State Government, and in particular, operate singly the bank account referred to in section 45:

Provided that nothing in this section shall be construed to confer on the Authorized Controller the power to transfer any such property (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of an grant-in-aid of the institution from the State Government).

(5) Any order made or direction given under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistency therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution receiving maintenance grant from the State Government (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

47. Appeal. – An appeal against the order of the Regional Additional Director of Education, superseding the management under section 46 may be preferred to the Director within one month from the date on which the order is communicated to the management and the Director may after such further inquiry, if any, as he considers necessary either set it aside or confirm or modify it, and pending the disposal of appeal may stay the operation of the order on such terms, if any, as he thinks fit.

48. Revision. – The State Government may call for and examine the record of any appeal decided by the Director under section 47 for the purpose of satisfying itself as to the correctness or propriety of any order passed by him, and it may pass such order thereon as it thinks fit:

Provided that no order superseding the management of an institution receiving maintenance grant from the State Government or extending the period of supersession thereof shall be passed under this section unless an opportunity has been given to the management to show cause against the proposed order.

49. Approval for post. – No institution receiving maintenance grant from the State Government shall create a new post of teacher or other employee except with the previous approval of the Director, or such other officer as may be empowered in that behalf by the Director:

50. Liability in respect of salary. – (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every institution receiving maintenance grant from the State Government due in respect of any period from the date of the commencement of this Act.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the institution as if that amount were an arrear of land revenue due from the institution receiving maintenance grant from the State Government.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the institution for any such dues to the teacher or employee.

51. Penalties and Procedure. – (1) If any default is committed in complying with any direction under Section 44 or with the provisions of Section 43 or Section 45, every person who at the time the default was committed was Manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the Institution receiving maintenance grant from the State Government shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 43 with fine which may extend to one thousand rupees and in case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Regional Additional Director, Education.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Additional Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefore without a warrant.

(4) No Court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

52- Exemption of certain classes of institutions from the operation of certain sections.– (1) The provisions of sections 29, 30 31, sub-section (2) to sub-section (14) of section 34 and sections 35 to 51 shall not apply to recognized institutions run and maintained by the State Government or the Central Government.

(2) In the Case of recognized institutions maintained by a local body, the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make and the provisions, if any, so made applicable, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

53. Delegation of Powers by the Director.– Subject to the approval of the State Government, the Director may, by a notification in the official Gazette, delegate all or any of the powers conferred upon him by or under this Act, except the powers which he exercise as Chairman of the Board to an officer or officers of the Education Department not lower in rank than an 'Additional Director of Education.'

54. Protection for acts done in good faith:- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Board or any of its Committees or any other person or any person authorized by the State Government, the Board or any of its Committees in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

55. Bar of Jurisdiction of Courts- No order or decision made by the Board or any of its Committee in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

56- Power to remove difficulties- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or by reason of anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, remove the difficulty by making such incidental or consequential provisions, not affecting the substance.

Provided that no order shall be made after the expiration of the period of two years from the date of commencement of this Act.

Provided further that such every order as soon as shall be laid, before the State Legislative Assembly.

57- Application of Provision of Panchayati Raj Act- Notwithstanding anything contained in this Act, the provisions of Panchayati Raj Act, as far as they are related to the management of education, shall apply.

58- The services of teachers and employees of Basic Shiksha Parishad to be under the control of State Government- All the teachers, officers and employees of Basic Shiksha Parishad, including any supervising or inspecting officer or employee working immediately before the date of the commencement of this Act, shall be transferred to the State Government and they shall become teachers, officers and employees of the State Government, and their services shall be governed by the service rules prescribed by the State Government.

59- Position with regard to the property of Basic Shiksha Parishad or a local body- (1) the properties of Basic Shiksha Parishad immediately before the date of the commencement of this Act, shall become the properties of the State Government.

(2) Where any building or part thereof, on the date immediately before the date of the commencement of this Act, was occupied as tenant by Basic Shiksha Parishad for the purpose of any basic school, the tenancy in respect of such building or part, with effect from the date of the commencement of this Act, shall stand transferred in favour of the State Government.

(3) Where any building or part thereof belonging to a local body, on the date immediately before the date of the commencement of this Act, was occupied by Basic Shiksha Parishad for the purposes of any basic school, the State Government shall, with effect from the date of the commencement of this Act, be deemed to have become licensee on behalf of the local body in respect of such building or part on such terms and conditions as the State Government may by general or special order determine.

(4) The provisions of this section shall have effect, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, or any law for the time being in force.

60- Repeal and Savings- (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Intermediate Education Act, 1921) Adaptation and Modification Order 2002, The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972) Adaptation and Modification Order 2002, The Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1971 and The Uttar Pradesh Junior High School (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1978 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Principal Acts referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Act as if the provisions of the Act were in force at all material times.

SCHEDULE-ONE

(See Section 30)

Principles on which approval to a Scheme of Administration shall be accorded-

Every scheme of Administration shall-

- (1) provide for proper and effective functioning of the Committee of Management;
- (2) provide for the procedure for constituting the Committee of Management by periodical elections;
- (3) provide for the qualifications and disqualifications of the members and office-bearers of the Committee of Management and the term of their offices;

Provided that no such scheme shall contain provisions creating monopoly in favour of any particular person, cast, creed or family;

- (4) provide for the procedure of calling of meetings and the conduct of business at such meetings;
- (5) provide that all the decisions shall be taken by the Committee of Management and powers of delegation, if any, shall be limited and clearly defined;
- (6) ensure that the powers and duties of the committee of Management and its office-bearers are clearly defined;
- (7) provide for the maintenance and security of property belonging to the institution and also for the utilization of its funds and for the regular checking and auditing of accounts.

SCHEDULE-TWO
(See Section 39 and 40)
List of Relatives

1. Father
2. Mother (including step-mother)
3. Son (including step-son)
4. Son's wife.
5. Daughter (including step-daughter)
6. **Father's father.**
7. Father's mother.
8. Mother's mother.
9. Mother's father.
10. Son's son.
11. Son's son's wife.
12. Son's daughter.
13. Son's daughter's husband.
14. Daughter's husband.
15. Daughter's son.
16. Daughter's son's wife.
17. Daughter's daughter.
18. Daughter's daughter's husband.
19. Brother (including step-brother).
20. Brother's wife.
21. Sister's (including step-sister).
22. Sister's husband.
23. Wife's (or husband's) brother.
24. Wife's (or husband's) father.
25. Wife's (or husband's) sister.
26. Brother's son.
27. Brother's daughter.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.